झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–12/2017 का०– **12016**/राँची, दिनांक **08** दिसम्बर, 2017

श्री चंदन प्रसाद, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला–पूर्वी सिंहभूम), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कोलेबिरा, सिमडेगा को परिवादी सहजाद हसन, कोलेबीरा, सिमडेगा के आवेदन के सत्यापन उपरांत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष कोषांग, राँची थाना कांड सं0–04/2017, दिनांक 19.01.2017, धारा–7/13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया तथा दिनांक 20.01.2017 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टीम द्वारा श्री प्रसाद को श्री हसन से 20,000/– रूपया घूस लेते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं0–1080, दिनांक 02.02.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(2)(क) के तहत् न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 20.01.2017 से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

2. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के उपरांत श्री प्रसाद को पुनः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) के तहत् विभागीय आदेश सं0–2046, दिनांक 08.03.2017 द्वारा अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, द0छो0 प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया।

3. श्री प्रसाद के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष कोषांग थाना कांड सं0–04/2017, दिनांक 19.01.2017 में अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा इनके विरूद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी), राँची के न्यायालय में आरोप पत्र सं0–21/17, दिनांक 07.07.2017 दाखिल हो चुका है।

4. अतः समीक्षोपरांत श्री चंदन प्रसाद, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कोलेबिरा, सिमडेगा, सम्प्रति–निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08.12.17

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–12/2017 का०– **12016**/राँची, दिनांक **08** दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, सिमडेगा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिमडेगा/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6(चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/श्री चंदन प्रसाद, झा0प्र0से0, मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, द0छो0 प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.12.17

सरकार के संयुक्त सचिव।